न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 04/2022

1. चानणमल पुत्र स्व. श्री हरिराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं. 17, जोगीआसन तहसील नोहर।

–अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़ ।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय दिनांकः–02.11.2023

अपीलांट चानणमल पुत्र स्व.श्री हरिराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं. 17, जोगीआसन तहसील नोहर द्वारा विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.01.2019 बअदालत तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील, को अपास्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

प्रार्थी अपीलांट चानणमल पुत्र हरिराम जाति रेगर द्वारा एक प्रार्थना–पत्र नामांतरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया कि उनके दादा बस्तीराम पुत्र गंगाराम जाति रेगर द्वारा जोगीआसन तहसील नोहर के खसरा नम्बर 26 की वसीयत प्रार्थी के नाम गई है, जो उसकी स्वअर्जित कृषि भूमि होने के कारण बस्तीराम पुत्र गंगाराम को वसीयत करने का अधिकार था तथा बस्तीराम पुत्र गंगाराम की मृत्यु दिनांक 08.07.1981 को हो जाने के पश्चात उसकी वसीयत दिनांक 03.09.1961 नियमानुसार प्रभावी हो गई थी तथा वसीयतकर्ता की इच्छा अनुसार प्रार्थी अपीलांट वसीयतशुदा कृषि भूमि का वसीयती वारिस होने के कारण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार मृतक वसीयतकर्ता की जगह हो चुका था। इसलिए वसीयत में अंकित काश्तकार बस्तीराम पुत्र गंगाराम जाति रेगर की वसीयत दिनांक 03.09.1961 अनुसार पूर्व खसरा नं. 26 वर्तमान खसरा नं. 48 ग्राम जोगीआसन नम्बर 1 की 0.771 हैक्टेयर भूमि का नामांतरण प्रार्थी चानणमल पुत्र हरिराम के नाम दर्ज करने का निवेदन किया तथा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली का संधारण कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर व सार्वजनिक सूचना जारी कर तथा उक्त वादग्रस्त

02/11/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नही होना अंकित करते हुए तथा किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा नियमानुसार कोई एतराज नहीं होने के पश्चात प्रार्थी अपीलांट को कोई विधि अनुसार सुनवाई व साक्ष्य ना लेकर कतई विधि विरुद्ध आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अपीलांट दिनांक 22.01.2019 को निरस्त कर दिया। जिससे प्रार्थी अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होती है तथा उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है, जिससे प्रार्थी अपीलांट निर्णय दिनांक 22.01.2019 का अपास्त करवाने हेतु तथा वसीयत दिनांक 03.09.1961 के आधार पर नामांतरण दर्ज करवाने हेतु यह अपील अपीलांट निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है–

1. निर्णय दिनांक 22.01.2019 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम वाक्यात व रूहदाद मिसल है तथा विधि की भयंकर अवहेलना में पारित किया है तथा काबिल मन्सूखी है।
2. मातहत अदालत ने नीचे की पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर ना कर कतई मनमाना, स्वेच्छाचारिता पूर्ण व नियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.01.2019 को पारित किया है तथा निर्णय दिनांक 22.01.2019 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।
3. मातहत अदालत ने वसीयतकर्ता की वसीयत दिनांक 03.09.1961 के आधार पर नियमानुसार नामांतरण प्रार्थी अपीलांट के नाम दर्ज ना कर कानूनी गलती की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल मन्सूखी है।
4. मातहत अदालत ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर ना देकर बिना वजह बिना आधार पर पत्रावली में नियम विरूद्ध कानूनी पेचीदगियां पैदा करने में रूचि दिखाई है। जबकि मातहत अदालत को वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज कर अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए थी तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल अपास्तनीय है।
5. मातहत अदालत ने वसीयत को सन्देहास्पद मानकर कानूनी गलती की है जबकि मातहत अदालत को मृतक की वसीयत के वैधता व अवैधता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं था तथा वसीयत की वैधता व अवैधता को देखने का अधिकार सक्षम सिविल कोर्ट को है तथा निर्णय दिनांक 22.01.2019 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है ।
6. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में आधार लिया है कि वसीयतकर्ता बस्ती पुत्र गंगाराम बताया जा रहा है जबकि अंकित काश्तकार बस्ती पुत्री मघा है। यह बिन्दू वसीयत को सन्देहपूर्ण बनाता है यह आधार कतई मानने योग्य नहीं था। क्योंकि यह केवल एक लिपिकीय भूल से ज्यादा कुछ नहीं है जबकि ऐसी भूल को किसी समय दुरूस्त किया जा सकता है। प्रार्थी अपीलांट ने उक्त लिपिकीय त्रुटि को सक्षम कोर्ट से दुरूस्त करवा

02/11/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिया था फिर भी वसीयत दिनांक 03.09.1961 के आधार पर नामांतरण दर्ज ना कर वसीयतकर्ता की इच्छा के खिलाफ जाते हुए निर्णय पारित किया है। इसलिए निर्णय मातहत अदालत इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

7. मातहत अदालत ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बस्ती पुत्र गंगाराम के किसी अन्य वारिस की तरफ से कोई उजर व ऐतराज नहीं था फिर भी मातहत अदालत ने प्रार्थी अपीलांट के साक्ष्य लेकर वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज ना कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए निर्णय दिनांक 22.01.2019 पारित किया है जो काबिल इखराजी है।
8. मातहत अदालत का निर्णय Speaking Order नहीं है तथा अदालत मातहत ने अपना न्यायिक स्वविवेक काम नहीं लेते हुए मृतक वसीयतकर्ता की वसीयत के आधार पर उसके वसीयत वारिस अपीलांट के नाम नामांतरण दर्ज ना कर कानून के मान्य सिद्धान्त की पालना नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा इसी आधार पर निर्णय काबिल अपास्तनीय है।

लिहाजा यह अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 22.01.2019 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा वसीयतकर्ता की वसीयत दिनांक 03.09.1961 के आधार पर नामांतरण दर्ज करने के आदेश मातहत अदालत को फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 22.01.2019 को तहसीलदार नोहर के निर्णय के खिलाफ अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट चानणमल के दादा बस्तीराम की वसीयत दिनांक 03.09.1961 के आधार पर खसरा नं0 48 जोगीआसन की भूमि में अपने नाम करवानें बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र के संबध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई। उक्त भूमि पर कोई विवाद भी नहीं था। अपीलांट को सुनवाई और न ही साक्ष्य का अवसर दिया। अपीलांट द्वारा नामान्तरण हेतू प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तहसीलदार नोहर द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए ऐसा किया जबकि यह अधिकार सिविल कोर्ट को है। केवल नाम की लिपिकीय त्रुटि के कारण बस्ती पुत्र गंगाराम की स्थान पर बस्ती पुत्र मघा दर्ज है। ये नामान्तरण सैद्धांतिक होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर ने अपना अधिकार प्रयोग नहीं किया। वसीयत के आधार पर नामातंरण दर्ज किया जावे। प्रार्थना–पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 भी प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अपील गुणावगुण आधारित है। अतः म्याद न देखी जावे। अपील प्रस्तुत करनें मे हुई देरी को नजरअंदाज किया जावे। इस हेतू निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–RRD 1998 Page no. 319

02/11/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट देखनें से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि कृषि योग्य होते हुए भी इसका उपयोग गैर कृषि कार्य हेतू होने व वसीयत में वल्दियत में अन्तर होनें के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर प्रस्तावित नामान्तरण को खारिज किया गया है। जहां तक सुनवाई के अवसर का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम सूचना जारी कर उज्र/ऐतराज/सुनवाई हेतू पूर्ण कार्यवाही की गई थी। मौका रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि गैर कृषि उपयोग में आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत में त्रुटि को भी इस निर्णय का आधार माना है। इस न्यायालय के विचार में अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए निर्णय किया है। जहां तक गैर कृषि उपयोग का प्रश्न है, उस हेतू राजस्व नियमों के तहत कार्यवाही की जानी उचित है इस न्यायालय के विचार में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भूल नही की जाने के कारण उक्त अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 02·11·2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर

02/11/2023
चंचल वर्मा (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)